

**Shri Ranga** (Chittoor): What is this, Sir,

**Mr. Deputy-Speaker:** Introduction of a Bill. The introduction is not opposed.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

*The motion was adopted.*

**Shri Sezhiyan:** I introduce the Bill.

14.31 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT)  
BILL—contd.

(Amendment of sections 15, 30 etc.)  
by Shri P. L. Barupal

**Mr. Deputy-Speaker:** The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Panna Lal Barupal on the 30th August, 1963:—

"That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration."

Out of one hour allotted, five minutes have been taken and fifty-five minutes are left.

**Shri Hari Vishnu Kamath** (Hoshangabad): May I ask, Mr. Deputy-Speaker, how much time has been allotted to the other two Bills?

**Mr. Deputy-Speaker:** One and a half hours for Shrimati Lakshmi Kantam's Bill, one hour for Shri Shree Narayan Das's Bill, and then comes your Bill for which one and a half hours has been allotted.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** That means, if I could speak for one mi-

nute today then it can continue in the next session.

**Mr. Deputy-Speaker:** I do not know. It all depends upon the progress of the other Bills.

I think Mr. Barupal has finished. Shri Kachhavaia

**श्री कछवाय (देवास) :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र, श्री पन्नलाल बारूपाल, ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है, वास्तव में अगर वह शासन की ओर से रखा जाता, तो बहुत अच्छा होता इस विधेयक के द्वारा माननीय सदस्य ने इस बात की मांग की है कि इस समय फैक्टरियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी कानून अंग्रेजी में छपते हैं, उन को हिन्दी में छापना प्रारम्भ किया जाये। अगर शासन की ओर से इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जायगा और फैक्टरियों से सम्बन्धित सब कानूनों को हिन्दी में भी छपा जायगा, तो मेरा विश्वास है कि देश भर में हर मजदूर अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और अपने से सम्बन्ध रखने वाले कानून को समझने लगेगा। इस से उस में विश्वास पैदा होगा और हमारे देश के उत्पादन में भी काफी तरक्की होगी।

आज होता यह है कि मजदूरों के तमाम कानून अंग्रेजी में छपते हैं, परन्तु हमारे देश में अधिकांश संख्या ऐसे मजदूरों की है, जो कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अंग्रेजी जानने वाले मजदूर कम हैं और अधिकतर मजदूर या तो पढ़े-लिखे नहीं हैं और या हिन्दी पढ़े-लिखे हैं। मैं शासन से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी में सब कानून छापने के साथ ही साथ यह व्यवस्था और करनी चाहिए कि सब फैक्टरियाँ, चाहे वे सरकारी हों और चाहे गैर-सरकारी, इन कानूनों को संक्षेप में छपवा कर अपने मजदूरों को दें ताकि मजदूर समझें कि वास्तव में हमारे अधिकार क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए।

### [श्री कछवाय]

आज यह देखा जाता है कि जो कुछ लोग कानून समझते हैं, जो समझदार हैं, वे शासन की ओर से यूनियन चलाते हैं। उन यूनियनों के प्रमुख लोग और फ़ैक्टरियों के मालिक दोनों मिल कर आपस में समझौता कर लेते हैं और गलत ढंग से उस को अमल में लाते हैं। उन यूनियनों के नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मिल-मालिकों से समझौता करते हैं। इस बारे में मैं आप को कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ।

पिछले महीने की आठ तारीख को मध्य प्रदेश में नागदा ग्रेसिन मिल में एक पावर भट्टी फट गई, जिस में पांच छः व्यक्ति मर गये। कानून के अनुसार सौ रुपये से ज्यादा पाने वाले मजदूर के परिवार को सात हजार रुपया मुआवजा दिया जाता है। लेकिन आई० एन० टी० यू० सी० के लोगों ने मिल-मालिक, बिड़ला साहब, से समझौता कर के उन लोगों को केवल तीन तीन हजार रुपये प्रति परिवार दिला कर मामला साफ़ करवा दिया। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यद्यपि भारत का विधान और इस सदन का बनाया हुआ कानून यह कहता है कि प्रत्येक परिवार को सात हजार रुपया मिलना चाहिए, लेकिन कानून के पढ़े लिखे लोग मिल मालिक से मिल कर मजदूर का गला घोटते हैं और सात हजार रुपये के बजाये उसको तीन हजार रुपये ही दिलवाते हैं।

मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूँ। कानून के अनुसार प्रत्येक कारखाने वाले को प्रत्येक मजदूर को प्राविडेंट फंड का लोन देना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सी मिलें हैं, जहां प्राविडेंट फंड का लोन मजदूरों को नहीं दिया जाता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में एक हीरा मिल है। उसके मालिक से मिला। उसने मुझे कहा और पत्र में भी लिखा कि हमारे यहां कोई प्रतिबन्ध

नहीं है और मजदूरों को बराबर लोन दिया जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि मजदूर को किसी हालत में लोन नहीं दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैं प्राविडेंट फंड कमिश्नर से भी मिला। उन्होंने कहा कि हम मजदूरों को प्राविडेंट फंड का लोन देते हैं। दोनों कहते हैं कि हम लोन देते हैं, लेकिन वास्तव में व्यवहार में लोन बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इस कारण उज्जैन में ऐसा भयंकर उपद्रव फैला हुआ है, जिसका मैं जिक्र करना नहीं चाहता। मजदूरों की मांग है कि प्राविडेंट फंड का लोन मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता है इसका क्या कारण है? अगर इस विषय का कानून हिन्दी में होता, तो मजदूर उसको पढ़ते और उसके आधार पर अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री **मन्मत्सिंह** (गोहा) : नये कानून के हिसाब से प्राविडेंट फंड सरकार के हाथ में चला गया है। अब वह फ़ैक्टरियों के हाथ में नहीं है।

श्री **कछवाय** : माननीय सदस्य ठीक कहते हैं, परन्तु मैं कहना चाहता हूँ कि प्राविडेंट फंड के सरकार के हाथ में जाने के बाद भी मजदूरों को लोन नहीं मिलता है। मैं इसका प्रफ देता हूँ। स्वयं उस मिन में काम करता हूँ। सरकार के हाथ में कानून जरूर है, परन्तु प्रश्न यह है कि उसका कितना पालन होता है।

श्री **रामेश्वरानंद** (करनाल) : कानून तो सरकार के हाथ में है, परन्तु पैसा मालिक के हाथ में है।

श्री **कछवाय** : स्वामी जी कुछ हद तक ठीक कहते हैं, कानून तो सरकार के हाथ में है, लेकिन पैसे की गांठ मालिक के हाथ में है, इसलिए पैसा निलकने में देरी लगती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मजदूरों से सम्बन्धित जितने भी कानून हैं, वे हिन्दी में छापे जाने चाहिए और छाप कर मजदूरों में बांटे जाने चाहिए ।

मैं आपके सामने यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी कानून, बिल आदि छपते हैं, वे अंग्रेजी में छपते हैं लेकिन बहुत से सदस्य ऐसे हैं, जो अंग्रेजी नहीं जानते । इस सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से नवम्बर, १९६२ के सेशन के दौरान में मिला । उन्होंने इस कठिनाई को स्वीकार किया और कहा कि वह ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि फ़रवरी, १९६३ के बजट सेशन में सारे बिल आदि हिन्दी में भी छपेंगे—ऐसी व्यवस्था हम करना चाहते हैं और करेंगे । यह कह कर उन्होंने मेरे सामने सैक्रेटरी महोदय को आदेश दिया, लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ । बजट सेशन निकल गया, दूसरा सेशन अगस्त में चालू हुआ, लेकिन आज तक कानूनों आदि का हिन्दी में अनुवाद होना शुरू नहीं हुआ । अगर इन कानूनों को हिन्दी में छापा जायेगा, तो सारे देश में एक बड़ी चेतना आएगी, एक बड़ा परिवर्तन होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी । आज मिल मालिकों और शासन की चलाई हुई यूनियनों के नुमाइन्दों में घोटाले होते हैं । अगर मजदूर को अपना कानून मालूम होगा, तो बीच के दलाल लोग कोई भी रिस्वतखोरी और घूसखोरी नहीं कर सकेंगे, कोई भी दलाली नहीं कमा सकेंगे ।

मैं आप की अनुमति से एक बात कह कर बैठ जाऊंगा । आज सारे देश में मजदूरों के साथ अन्याय होता है, जिस की बहुत सी बातें मालूम नहीं होतीं । जसा कि मैंने पहले बताया है, उज्जैन में प्राविडेंट फंड का झगड़ा चल रहा है । इस बारे में मजदूर मैनेजर से मिले और अपनी मांग उनके सामने रखी । उन में से दो तीन मजदूर ६ तारीख को इसलिए काम से बिचकाल दिये गये कि उन्होंने मांग की थी कि

हमको प्राविडेंट फंड का लोन मिलना चाहिए ।

इसलिए शासन के द्वारा यह व्यवस्था होनी चाहिए कि सब मजदूरों को यह जानकारी मिले कि उनके कानून क्या हैं, उन के अधिकार क्या हैं, उन के कर्तव्य क्या हैं । गैर-सरकारी कारखानों के मालिकों को भी यह आदेश मिलना चाहिए कि जितने भी कानून हैं, उनको हिन्दी में छपवा कर मजदूर को उनकी जानकारी दी जाये, ताकि सब मजदूरों को उनका लाभ मिल सके ।

श्री शिव नारायण (बांसी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री बारूपाल, ने जो बिल पेश किया है, उसका उद्देश्य है कि कम्पनियों के सब पत्र आदि हिन्दी में होने चाहिए । मैं कहना चाहता हूँ कि कम्पनियां गवर्नमेंट नहीं हैं । गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । जो प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियां हैं, जिनमें गरीब तबके के और छोटे लोग काम करते हैं, अगर वे इस बारे में नमूना पेश करें, तो अच्छा हो । मैं भी किसान का बटा हूँ, गांव में रहता हूँ, हिन्दी—छोटी-मोटी हिन्दी—जानता हूँ । जो अंग्रेजी जानने वाले दो परसेंट लोग हैं, जो वकील हैं, जो एल० एल० बी० की डिग्री लेकर कचहरियों में बैठते हैं, आज उनका बिजनेस चलता है । मैं अपने भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सब कानून और नियम आदि हिन्दी में हों, तो मजदूर और उनके लीडर उन को पढ़ कर समझ सकते हैं और मिल-मालिक से बात कर सकते हैं । मिल मालिक कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होते हैं —

श्री रामेश्वरानन्द : माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब एक विधेयक यहाँ रखा था अनन्त काल तक अंग्रेजी को बनाये रखने के बारे में, तब तो बटन उधर ही दबा दिया था ।

श्री शिव नारायण : अच्छा करो तो बुरा और बुरा बुरा करो, तब तो बुरा है ही। हिन्दी का जब हम समर्थन कर रहे हैं, तब भी स्वामी जी का पेट फूलने लग गया है। स्वामी जी हिन्दी के समर्थक नहीं हैं, सिर्फ ढोल पीटना चाहते हैं ताकि वोट उनका पक्का हो जाए। मैं हिन्दी का सेवक हूँ, सदा हिन्दी की बात कहता हूँ।

मैं चाहता हूँ कि हिन्दी इसलिए लागू की जाए ताकि जो छोटे छोटे लोग हैं, वे भी जो कानून हैं, उनको समझें सकें। जब वे मिल मालिकों से बात करें, प्रोप्राइटरों से बात करें, तो ऐसे कर कि वे भी कुछ जानते हैं, उन्होंने भी कानून को पढ़ा है। प्रोप्राइटर कोई चीफ जस्टिस नहीं है कि जो कानून पढ़ा हुआ हो, जो कानून की ए० बी० सी० जानता हो, जो गाउन और काला कोट पहने हो, वही उसके सामने जा सके। सरकार जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है, गरीब लोग जिम्मेदार हैं, च.हे.वे.इस.के.एम. में हों या उस कैम्प में हों और उनको सब कुछ करना है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस हाउस में ऐसे लोग हैं जो आजादी के बिगुल में शामिल हुए थे और जब आजादी का बिगुल बजा था तो हर एक आदमी ने बिगुल बजाया था। आज बहुत बड़ा प्राबलैम हमारे सामने है। हिन्दी का प्राबलैम आसान नहीं है। एक अभिशाप देश पर है। जब तक हम विदेशी भावना का बायकाट नहीं कर देते हैं तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। यह हमारी झूठी है। हमारे वे दोस्त जो हिन्दी नहीं जानते हैं, उनको भी चाहिये कि वे हिन्दी सीखें। एक वक्त आया था जब दक्षिण भारत के भाई बड़े तिलमिलाने लगे थे। उनमें से भी आधे से ज्यादा आदमी अंग्रेजी बोलते हैं। अगर कोई अंग्रेजी बोलता भी है तो वह कोई गुनाह नहीं करता है। लेकिन मैं चाहता

हूँ कि कम्पनियों में इसका प्रचार हो, कम्पनियों में इसको लागू किया जाए। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर इत्यादि में इसको लागू किया जाए। बम्बई में इसको लागू किया जाए। बम्बई ऐसा शहर है जहाँ पर संसार के लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर हिन्दी में अधिक काम होता है। वहाँ मिल मालिक अगर हिन्दी में अपने कानूनों को छपवायें तो कोई आपत्ति की बात नहीं होनी चाहिये।

खान और ईंधन मंत्रों के सभा-सचिव  
(श्री तिममय्या) मद्रास में ?

श्री शिव नारायण : मद्रास में मद्रासी में रखा जाये। मद्रास में हर आदमी अंग्रेजी नहीं जानता है। वहाँ भी दो परसेंट आदमी अंग्रेजी जानते हैं। . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :  
मद्रासी कोई जवान नहीं है।

श्री शिव नारायण : तमिल जो वहाँ की जवान है, उसमें रखा जाये। केरल की जो जवान है, वहाँ पर उस जवान में छापा जाए, मैसूर में मैसूर की जवान में। हिन्दी में भी रहे और वह इसलिए कह रहा हूँ कि ये नेशनल लैंग्वेज में होने चाहियें, इंग्लिश में ही नहीं।

इन शब्दों के माध में इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (विजयनौर) :  
श्री पन्नालाल बारूपाल ने कम्पनी कानून हिन्दी में भी हो यह संशोधन करने का जो विधेयक उपस्थित किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं सरकार से इससे भी एक पग आगे जाकर और निवेदन करना चाहता हूँ। मेरी राय में न केवल कम्पनी कानून का अनुवाद हिन्दी में होना चाहिये, अपितु जितने

भी कानून भारत सरकार ने अब तक बनाये हैं या आगे बनाये जाने हैं, वे सब हिन्दी में भी आवश्यक होने चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने जनता की इस बात को सुन कर एक कमिशन बनाया है जो इस समय दिल्ली में काम कर रहा है और वही पुराने कानूनों का हिन्दी में अनुवाद कर रहा है। कई ऐक्ट हैं जिनका अनुवाद अब तक वह कर चुका है। मेरा इस विभाग के मंत्री श्री कानूनगो को मुझसे है और इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिये कि सदन की इच्छाओं को जान कर, उस कमिशन को अथवा विधि मंत्रालय को इस प्रकार का अनुरोध अपनी ओर से वह करें कि वह कमिशन कम्पनी कानून का हिन्दी में अनुवाद कर दे और इस कार्य को प्राथमिकता दे ताकि हिन्दी में भी ये मारे कानून बन जायें।

मुझे याद है कि इसी सदन में इस प्रकार की चर्चा का उत्तर देते हुए माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जितने भी कानूनों का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है, उन को फिर से लोक सभा में लाने की आवश्यकता नहीं होगी और भारत सरकार के गजेट में वे प्रकाशित हो जायेंगे और प्रकाशित होने के बाद से वे हिन्दी के कानून प्रामाणिक मान लिये जायेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, सम्भव है उस में कोई किसी प्रकार की गलती भी हो, अब तक कई कानूनों का हिन्दी में अनुवाद सम्पूर्ण हो चुका है और कड़ियों का चालू है, लेकिन इनका होने के बाद भी अभी तक भारत सरकार के गजेट में वे प्रकाशित नहीं हुए हैं और केवल अनुमार्फियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिन कानूनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है, उन कानूनों को सरकारी गजेट में प्रकाशित करने में सरकार को क्या आपत्ति है, यह मेरी सभ्य में नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि उन को प्रकाशित किया जाय जिस से वे प्रामाणिक माने जा सकें और प्रामाणिकता के आधार पर उन का प्रयोग भी चालू हो सके।

इसी प्रकार से यह जो कम्पनी कानून है जिस के सम्बन्ध में यह विधेयक आया है, इस को भी उस कमिशन को या उस विभाग के मंत्री जी को भेजें ताकि जल्दी से जल्दी इस कानून का हिन्दी में अनुवाद हो सके। इतना करने के साथ साथ इतना और कर दिया जाय कि भारत सरकार के गजेट में भी अतिशीघ्र वह प्रकाशित हो ताकि उस की प्रामाणिकता भी हो सके और उस को व्यावहारिक रूप भी दिया जा सके। हमारे माननीय मित्र श्री कछवाय ने जो इस सम्बन्ध में कठिनाइयाँ उपस्थित की हैं, वे भी बहुत व्यावहारिक हैं क्योंकि जनता का काम, जनता की भाषा में और जनता की सरकार द्वारा जब तक यह नहीं होगा तब तक ये कठिनाइयाँ बराबर बनी रहेंगी। थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे लोग, जो छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, वे लोग, जिन की जिन्दगियाँ इन कानूनों से बंधी हुई हैं, वे लोग अगर अपनी भाषा में पढ़ कर अपना मस्तिष्क कुछ बना लेंगे तो अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में अगर कभी उन को कुछ रोना होगा, किसी के सामने निवेदन करना होगा, तो वे कर तो सकेंगे। लेकिन जब वे अपने भाग्य बनाने वाले जिन कानूनों के साथ बंधे हुए हैं उन की जानकारी नहीं रखते हैं तो उन के सम्बन्ध में अपना दुखड़ा वे किस के सामने रोयेंगे।

पत्रालाल जी वारूपाल ने यह बिल बड़े अच्छे समय पर उपस्थित किया है मैं इस का स्वागत करता हूँ और इस का हृदय से समर्थन करता हूँ।

**श्री बारभोकी (खुर्जा) :** भाई पन्ना लाल वारूपाल जी ने जो इतना अच्छा विधेयक उपस्थित किया है, उस का मैं स्वागत करता हूँ और मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस को स्वीकार कर लें। अगर उन्होंने ने इस को स्वीकार कर लिया तो यह निराशा के रेगिस्तान में एक आशा की नहर

[श्री वाल्मीकी]

निकल आयगी और किस प्रकार से बारूपाल जी के क्षेत्र में नहर आने से अच्छा वातावरण उत्पन्न हुआ है, वैसे ही अच्छा वातावरण इस को स्वीकार करने से उत्पन्न होगा।

देश के अन्दर चारों ओर से इस प्रकार की जोरदार आवाज आती है कि हिन्दी को उस का उचित स्थान प्राप्त होना चाहिये। लोगों में यह भावना उमर चुकी है और बड़ बैठने वाली नहीं है। सरकार के प्रयत्न इस दिशा में कुछ आशाजनक चले हैं और चल भी रहे हैं लेकिन फिर भी उन में हमें उतनी आशा की झलक दिखाई नहीं देती है जितनी देनी चाहिये। जहां तक कानूनों का सम्बन्ध है, उन का हिन्दी अनुवाद प्रारम्भ हो गया है। मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से अंग्रेजी के कानूनों का एक कोड है और एक कोड में इन को छापा जाता है, उसी प्रकार से जो भी हिन्दी के कानून बन चुके हैं उन को भी एक जगह कर दिया जाए ताकि जन साधारण को, मजदूरों को, मामूली आदमियों को उन से पूरा पूरा लाभ उठाने का मौका मिले।

आज हमारे देश में कानून के प्रति भय नहीं है और न ही इस के प्रति आदर है। आदमी जब फंस जाता है कानून के शिकंजे में, तब थोड़ा सा भय कानून का मानता है। लेकिन उस शिकंजे से बचने का भी रास्ता आज खुला हुआ है। भ्रष्टाचार कोटों में छिपा हुआ है, अधिकारियों में व्याप्त है, यहां तक कि जजों में भी किसी प्रकार से है—और उस से बचने के लिए जब रुपये का प्रयोग व् करता है तो उस से भी कानून के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिये, वः नहीं होती है और उस में डील आ जाती है। उस का एक कारण यः भी है कि सारे कानून विदेशी भाषा में हैं, उस भाषा में हैं, जिस भाषा को दो प्रतिशत लोग भी नहीं समझते हैं। यद्यपि उस भाषा को भी एक स्थान प्राप्त

होना चाहिये, लेकिन वः एक अलग बात है। असली बात यह है कि देश में जो अधिकतर लोगों की भाषा है, जिस भाषा को अधिकतर लोग जानते हैं, जो अधिकतर लोगों द्वारा समझी और बोली जाती है, उसी के अन्दर कानून होने चाहियें। इस दृष्टि से कानूनों का हिन्दी में होना आवश्यक है। इन कानूनों को एक जगह पर ला कर रखा जाना चाहिये ताकि मामूली मजदूर भी उन से लाभ उठा सकें, अपने लाभ की बात देख सकें और उनको समझ सकें।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, यह बात निर्विवाद है कि हमारे देश के अन्दर कम्पनियों की तादाद बढ़ रही है, व्यापार बढ़ रहा है और व्यापार करने की प्रवृत्ति भी जाग्रत हो रही है। इस का एक कारण है। धन की लालसा लोगों में बढ़ रही है और लोग समझने लग गए हैं कि धन केवल व्यापार से ही सब से अधिक कमाया जा सकता है। व्यापार में फर्मों का, कम्पनियों का बहुत बड़ा स्थान है। जो कम्पनी कानून है, जो कम्पनी एक्ट है, उस का सांगोपांग अनुवाद हिन्दी में होना चाहिये ताकि जो हमारे लोग हैं, वे उस को पढ़ सकें, अपनी भावनाओं को जान सकें, अपने अधिकारों को समझ सकें। साथ ही साथ जो शेयरहोल्डर हैं, वे भी उन को समझ सकें। कम्पनियों के अन्दर जो शेयरहोल्डर होते हैं, जो साधारण आदमी होते हैं, वे केवल आम तौर पर हिन्दी जानने वाले होते हैं, साधारण जन भाषा को जानने वाले होते हैं। इस वास्ते यह जरूरी है कि उन की भाषा में उस को छापा जाय। आज एक प्रकार से उन लोगों को लूटा जा रहा है और उन को वे बातें नहीं बताई जाती हैं जो बताई जानी चाहियें। जो भी आज्ञायें उस कानून के अधीन निकलें, या सर्टिफिकेट दिये जायें या रिपोर्टें निकलें या मैमोरेण्डम निकलें वे हिन्दी में निकलें। अतः, थोड़े से उन अधिकारियों के लिये या इस प्रकार से जो कम्पनी चलाने वाले बड़े आदमी हैं या

कम्पनी के मालिक हैं, जिन पर अंग्रेजी का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, उन के लिये अंग्रेजी के कागज फायदेमन्द हो सकते हैं, लेकिन जो हजारों लाखों शेअरहोल्डर्स हैं वे तो हिन्दी जानने वाले हैं या कोई दूसरी भारतीय भाषा जानने वाले हैं। हो सकता है कि कोई कम्पनी ऐसी जगह हो जहाँ पर मलयालम का प्रभाव हो, जहाँ पर तमिल का प्रभाव हो, जहाँ पर तेलगू का प्रभाव हो, लेकिन जहाँ तक गुजराती, मराठी, बंगला और यह की दूसरी भाषाओं की बात है, वहाँ पर हिन्दी ही की भांति किसी न किसी प्रकार से वे भाषायें भी संस्कृत से निकली हैं। इसलिए एक माता की समान पुत्रियों के नाते हिन्दी से आवश्यकता किसी हद तक पूरी हो जाती है। लेकिन जैसा मैं ने कहा मलयालम के अन्दर, तेलगू के अन्दर, तमिल के अन्दर कानूनों का अनुवाद होना चाहिये और यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से मैं ने आप का ध्यान आकर्षित किया है हिन्दी में उन का अनुवाद होना बहुत जरूरी है।

बारूपाल जी ने इस कानून की १५वीं और ३०वीं धाराओं के सम्बन्ध में जो संशोधन उपस्थित किये हैं, केवल हिन्दी को इस प्रकार का स्थान दिलाने के लिये बड़ी अच्छी बात है और मैं उन को यकीनी तौर पर फिर धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि मंत्री महोदय, जो यहाँ पर बैठे हैं, वे इस की ओर ध्यान देंगे और इस को मानने में कोई हर्ज नहीं समझेंगे ताकि जो शेअरहोल्डर्स हैं जिन का शोषण होता है, उन का शोषण न हो सके और वे भी अपने अधिकारों को समझ सकें। शेअरहोल्डर्स जो होते हैं वे मामूली तरीके से गरीब ही रहते हैं, लेकिन जो कम्पनी वाले होते हैं, और डाइरेक्टर या मालिक होते हैं वे नाना प्रकार से इस का फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर कानून इस तरह वा. जायेगा जैसाकि सुझाया गया है और

उसी के अनुसार आदेश बन जायेंगे तो सब छ उन की जानकारी में आ जायेगा।

इस की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इस विधेयक को मान लेंगे। अगर किसी वजह से इसे नहीं मान सके तो अपने तरीके से बिल लाने का वायदा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अब हिन्दी अपने स्थान पर आयेगी और हिन्दी का प्रयोग रुकने वाला नहीं है।

श्री रामदेवरानन्द : श्री यः प्राणतो निमिपितो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभू ।  
यईशं अस्य दिवपश्चतुष्पदः कस्मै  
देवाय हविषा विधेमः ॥

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे बोलने का समय दिया है इस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूँ। अभी श्री पन्नालाल जी ने जो विधेयक रक्खा है उस के लिये मैं उन को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जैसा श्री प्रकाशवीर जी ने कहा छोटी मोटी कम्पनी के नियत ही हिन्दी भाषा में नहीं होने चाहिये अपितु हमारे भारत के जो सम्पूर्ण विधान हैं, छोटे से ले कर बड़े तक, व सभी भाषाओं में होने चाहियें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन का नाम ही "कानून-गो" है। यह कानूनगो शब्द कोई इंग्लिश का तो है नहीं। कानून शब्द अपने देश की भाषा का है। इसलिये मैं समझता हूँ कि वे मेरी प्रार्थना को अवश्य ही स्वीकार करेंगे।

मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हिन्दी में हमारा विधान बनता है तो उस में कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं देश के कोने कोने में जाता हूँ और हिन्दी भाषा में बोलता हूँ। बहुत सारे लोग मेरी भाषा को समझते हैं लेकिन जो लोग प्रदेशों में रहते हैं, जोकि इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं हैं, वे इंग्लिश को बिल्कुल नहीं समझते। अगर मैं उन से

[श्री रामेश्वरानन्द]

“पेरिन्टेज” बोलू तो वे क्या समझेंगे ? मैं पिता कहता हूँ तो वे समझ लेंते हैं। इसलिए इंग्लिश किसी भी अनपढ़ आदमी के लिए समझना सरल नहीं है। उन लोगों के लिये हिन्दी अधिक सरल है। इसलिये जो भी कानून कम्पनियों के हों, चाहे वे छोटी हों या बड़ी हों, वे सब हिन्दी में होने चाहियें। आज हमारे देश के लोग हिन्दी पढ़े लिखे हैं, हिन्दी का प्रचार हो रहा है देश के कोने कोने में। यदि कोई भाई हिन्दी नहीं जानता दक्षिण प्रान्त का, तो उस के पुत्र तो हिन्दी पढ़ते हैं। यदि यह विधान हिन्दी में बनाये जायें, तो भले ही वे स्वयं हिन्दी न समझ सकें लेकिन उन के बच्चे हिन्दी सीख लेंगे। अनपढ़ व्यक्ति के लिये यह लाभदायक होगा। आज देश में पढ़ाई लिखाई की भावना फैल रही है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो निर्धन लोग हैं, चाहे, वे कहीं के हों, अगर उन से हिन्दी बोली जाय तो मैं निश्चित रूप से, घोषणा-पूर्वक कहता हूँ कि १०० में ७५ प्रतिशत वे हिन्दी को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

आज हिन्दी के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि आप उर्दू और फारसी मिश्रित बोलते हैं। विशद संस्कृत निष्ट हिन्दी बोली जाय और उमी में आप के विधान हो तो तेलगू, मलयालम आदि बोलने वालों के लिये भी बड़ा सरल होगा क्योंकि उन में सहस्रां शब्द संस्कृत के हैं। मैं उर्दू में बोलता हूँ तो वे उसे समझ नहीं पाते लेकिन हमारे प्रकाशवीर जी बोलते हैं जब तो यहां अन्य प्रदेशों के सदस्य कहते हैं कि उन की भाषा उन लोगों के समझ में आती है। जो लोग पंडित जवाहरनान नेहरू जैसी भाषा बोलते हैं, कम से कम वह किसी दक्षिण भारतीय की समझ में तो आ नहीं सकती क्योंकि वह उर्दू मिश्रित है और वे लोग उर्दू नहीं समझते।

मैं इस विषयक पर अधिक न कहना हुआ यह आशा करूंगा कि हमारे सारे विधान

जो हैं वे हिन्दी में किये जायेंगे। अगर वे हिन्दी और इंग्लिश दोनों में हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं इंग्लिश का विरोधी इसलिये नहीं हूँ कि वह विदेशी भाषा है। मैं उस का विरोध इसलिये कर रहा हूँ कि वह देश की राष्ट्र भाषा नहीं बनाई जानी चाहिये। भाषा की दृष्टि से आप कितनी ही भाषायें को रखिये और उन में अनुवाद कराइये, लेकिन उस को महारानी संस्कृत भाषा और हिन्दी भाषा के पद पर नहीं बिठलाना चाहिये। वह दासी के रूप में और अनुचरी के रूप में रहे तो हमें कोई विरोध नहीं है।

**Dr. M. S. Aney (Nagpur):** Sir, I support the Bill, and the motive which the mover of the Bill has in his mind is one which will meet the approval of a large section of Members of this House. He only demands that this particular Act should be in Hindi or a translation of that in Hindi should be supplied to the public. Government should not find it difficult to comply with this simple request.

In that connection, there is one point which I must make, a point to which my hon. friend, Shri Prakash Vir Shastri, has made a reference. When a Bill is passed in a particular language in this House, that becomes the text of that Bill, and if it is translated, whether that translation can be considered as a substitute for the original Bill or not is a question which can be decided only by courts. But that is a different matter. Unless there is some special legislation for that purpose, with a view to declare those translations as substitutes for the original Bills passed by the House, whether the courts will consider them as substitutes for the original Bills, might be a questionable point. Though the work of translation is going on, and I believe Government will take steps to see that all important statutes are translated into Hindi and they shall come forward with some kind of a Bill with

a view to give those translations the same status, the same authenticity, the same sanctity and the same authoritativeness which the original texts which were passed in this House had got, until that step is taken, it will be of great use to the people if translations are supplied to them, whereby they can be given the facility of acquainting themselves with the laws by which they are governed. From that point of view, I support this Bill.

15 hrs.

**Shri Maniyangadan** (Kottayam): Sir, I oppose this Bill. I have no objection to the principle that the articles of association and the memorandum and reports of companies must be made available to the people in a language which they know. But at present there is no statutory provision as to in what language these things should be printed and published. As for the memorandum, there can be only one original. If it is in English, that is the original. If a statutory provision is made that a substitute or an authoritative translation of that into some other language is necessary, I can understand that. But that is not the provision that is sought to be incorporated by this Bill. If it is made statutorily obligatory on companies that everything should be printed in two languages, it will be causing additional burden and expenses on the companies, unless that is absolutely necessary.

Now there is no statutory provision as to in what language these things should be. So, it is for the companies to decide in what language their articles of association or reports should be published. Suppose, the shareholders of a particular company decide that the reports and other things of that company should be published in Hindi or in Tamil, Bengali, Malayalam or in any other language, that decision could be taken by the company and the shareholders are at full liberty to see that those things are done in that way. I do not understand why a statutory obligation

should be cast on the company in this manner.

I do not know what the intention of the hon. Mover of this Bill is. I for one who do not know much Hindi but who have learnt from others about the language still feel that such complicated and technical things could not be now got prepared in the Hindi language. If the idea is to spread and develop Hindi, I would most humbly submit that this is not the method to do so. By legislation no language could develop. Let the language be developed first. I have no objection to Hindi. I am a person who has accepted Hindi as the official language of India and I would welcome the day when that will be spoken by our people from one end of the country to the other and when it would be the medium of instruction in schools. But the language must be improved. It must develop. It is for that that these people must try and not take to these devious methods for imposing this language on people and thus creating opposition to that.

According to me, if this legislation is passed by this Parliament, it will create more opposition to Hindi in the non-Hindi-speaking areas. We know, it is the psychological effect of that. So, I would most humbly submit to the hon. Mover of this Bill not to try to press this Bill. Let him withdraw it in the interest of the nation, in the interest of the language and in the interest of national integrity.

**उद्योग मंत्रों (श्री कानूनगो) :** श्रीयुक्त बरूपाल जी ने जो यह विधायक पेश किया है उसका मतलब यह है हिन्दुस्तान में कम्पनियों की सारी कार्रवाई हिन्दी में हो, और उस के कागजात हिन्दी में रखे जायें। जो कम्पनी एक है उस में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि कम्पनी का काम किस भाषा में हो। जिस भाषा में चाहे उस भाषा में कम्पनी काम कर सकती है, इस बारे में कम्पनी एक में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। हल्स में यह रखा गया है कि रजिस्ट्रार के दफतर में जो कागज पेश करने हैं, जैसे एन्युअल

## [श्री कानूनगो]

रिपोर्ट्स और एन्युअल रिटर्न्स आदि, उन को भी जिस भाषा में चाहें पेश कर सकते हैं, लेकिन उस के साथ उस का अंग्रेजी का तर्जुमा देना होगा। रूल में इतना ही विधान है।

जहां तक कानून की किताबों का मामला है, कम्पनी एक्ट एक बहुत लम्बी चौड़ी चीज है, उस के अनुवाद का काम हो रहा है। मुझे पता लगा है कि कम्पनी एक्ट का हिन्दी में तर्जुमा किया जा रहा है। वह तर्जुमा हो जायगा तो उस को जांचने के बाद छपवायेंगे। काम चल रहा है। १९५६ में यह कानून शुरू हुआ, और १९६० में इस में तरमीम की गयी। गवर्नमेंट की तरफ से एक हैडबुक निकाली गयी है जिस का नाम है—ले मॅन्स हैडबुक आफ कम्पनी ला। वह हिन्दी में भी छपी है, सब को मिल सकती है। लाइब्रेरी में है और बिकती भी है। इस किताब में कम्पनी के काम के बारे में सूक्ष्म रूप से सब दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है।

कम्पनी अपना काम चलाने के लिये कम्पनी चलाती है। इसलिए वह अपने कागजात को एसी भाषा में छापेगी जिस को उस एरिया के लोग समझ सकें जहां कम्पनी है, और जो कम्पनी को पैसा देते हैं। अगर कोई आदमी पांडिचरी में कम्पनी खोलेगा तो वह फ्रेंच भाषा में अपने कागजात छपवायेगा, या अगर कोई गोआ में कम्पनी लगावेगा तो वह पुर्चुगीज भाषा में अपने कागज छपावेगा। इसी तरह अगर कोई केरल में कम्पनी लगावेगा तो मलयालम में अपने कागज छपवायेगा। जिस क्षेत्र में वह अपनी कम्पनी लगावेगा उस क्षेत्र की भाषा को इस्तेमाल करेगा। इस पर अगर कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगा दें तो उससे नुकसान होगा। अगर कोई केरल में कम्पनी लगाता है, या असम में लगाता है, और अपने कागजात हिन्दी में छपवाता है तो उस कम्पनी का तो दिवाला निकल जायगा। आखिर उस

कम्पनी के कागजात का इस्तेमाल तो उस के शेयरहोल्डर ही करेंगे। इसलिए कम्पनी उन की भाषा में कागजात छपावेगी और जहां तक सरकार का सवाल है, जैसा मैं ने कहा कि इस में कोई रुकावट नहीं है वह अपने सारे कागज चाहे जिस भाषा में रख सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रार के दफ्तर में उन को उन का तर्जुमा अंग्रेजी में भी देना होगा।

कई साहिबान ने अपने भाषणों में कहा है कि जिन लोगों को प्राविडेंट फंड आदि मिलने वाला है उन को अंग्रेजी में कानून होने से कठिनाई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस से कम्पनी ला का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे खबर है कि सारे कानूनों का हिन्दी में तर्जुमा हो रहा है और उसको आहिस्ता आहिस्ता छपाया जायगा।

इतना क.३ कर मैं श्री बारूपाल जी से निवेदन करूंगा कि व. इस बिल को वापस ले लें।

श्री ५० ला० बारूपाल (गंगानगर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो बात हमको समझाने की कोशिश की है उसको मैं ने समझा। उन्होंने कहा कि अगर सारी कम्पनियां हिन्दी में अपना काम करें तो उनका दिवाला निकल जाएगा। मेरे पास अनेकों कम्पनियों के कागजात आते हैं। मैं देखता हूं कि उनमें बहुत अच्छा आर्ट पेपर काम में लाया जाता है, जो कि विदेशों से मंगाया जाता है और डिजाइन आदि बनाने पर काफी पैसा खर्च किया जाता है अगर इस काम को साधारण तौर पर किया जाए तो हिन्दी में भी प्रकाशित किया जा सकता है। लेकिन जब भी हम हिन्दी की बात करते हैं, जिसको कि संविधान में राजभाषा मान लिया गया है, तो सरकार की तरफ से हिचकिचाहट होती है और उस चीज को संदेह की नजर से देखा जाता है। मैं कहता हूं

कि यह तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हिन्दी राजभाषा है, और जब ऐसा है तो सब काम हिन्दी में होना चाहिए। लेकिन उसको लागू करने में ऐसी हिचकिचाहट होती है जैसे वह विदेशी भाषा हो। इसको संविधान में माना है लेकिन फिर भी हिन्दी को लागू करने में सन्देह मालूम पड़ता है।

भय्रजी ज्यादा देर तक बनाये रखने की बात करते हैं। जितने भी आदमी बोले हैं उन्होंने हिन्दी के लिये कहा है। पंडित जी ने यह बात बिलकुल ठीक ही कही थी कि जो गरीबों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं वे तो सारे हिन्दी का समर्थन करते हैं क्योंकि हिन्दी भाषी लोग इस देश में ८० या ८५ फीसदी हैं। भय्रजी मोलने वालों की तादाद इस देश में बहुत ही कम है। स्पष्ट रूप से हिन्दी बोलने वालों का इस देश में बहुमत है। इसलिए सरकार को जनतंत्रीय भावना और जनता की सरकार होने के नाते हिन्दी को सभी तरह से प्रोत्साहन देना चाहिये और उसके प्रसार में सरकार को कोई कंजूसी या संकीर्णता नहीं दिखानी चाहिये हिन्दी के लिए भी उतना ही पैसा खर्च हो...

श्री कानूनगो : हिन्दी के लिए कोई भी रूकावट नहीं है।

श्री प० ला० बाबूपाल : मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय ने हिन्दी के अन्दर एकट और कानून दूसरी कानूनी किताबों का हिन्दी में अनुवाद करने का जो आश्वासन दिया है वह शीघ्र कार्यान्वित होगा और कानून और विधेयक भविष्य में हिन्दी में आयेंगे। मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी में अनुवाद कराने में वे इस कम्पनी एकट को प्राथमिकता देंगे। मंत्री महोदय के इस आश्वासन पर मैं इस विधेयक को वापिस लेना चाहता हूँ।

कुछ मावनीय सबस्य : नहीं, नहीं।

Mr. Deputy Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

Several Hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave withdrawn.

15. 12 hrs.

#### CRIMINAL LAW AMENDMENT BILL

by Shrimati Lakshmikanthamma

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I beg to move:

"That the Bill further to amend the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. 1898, be taken into consideration."

Mr. Deputy-Speaker, Sir, the law regarding obscene publications is contained in section 292 of the Indian Penal Code. According to this section, the possession, sale, hire, distribution, exhibition etc. of any obscene publication as also the import and export of and business in such publications is made punishable. Section 293 prescribes a more severe punishment when the recipient of such a publication is of an impressionable age. Although these provisions may be said to be adequate so far as they go, the fact remains that they do not go far enough.

I would like to say a word here about journalism. Journalism is supposed to be very sacred. Great writers used to write certain works and when they used to be asked to dedicate their works to kings, they used to refuse. We have an instance of Pothanna who translated Bhagvatam in Telugu where a king asked him to dedicate his works to him, but he refused. He went before the diety Saraswati saying, he will rather live in jungles starving rather than selling his works to such people.

Here, it is a sad state of affairs. Even for a paltry sum of a few rupees, people resort to write whatever others would like them to write. For the sake of black-mailing some people, they write certain obscene things of